(394)

विलोपित

न्यायालयः— मान्य0 राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क0:— निगरानी-3676/2018/भिण्ड/भू.रा. / निग0माल

बृजेश सिंह पुत्र रघुनाथ कुशवाह
निवासी—ग्राम फूफकला तेह0व जिला भिण्ड म0प्र0
आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि0 14/6/18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 14-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1—बलबीर पुत्र रामसहाय काछी
2—नंदराम पुत्र रामसहाय काछी
3—अशोक पुत्र रामसहाय काछी
4—रामकरन पुत्र रामसहाय काछी
5—राधेश्याम पुत्र रामसहाय काछी
समस्त निवासीगण—ग्राम फूफकला परगना व जिला भिण्ड म0प्र0 ————अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 05—06—18 पारित द्वारा न्यायालय— अपर कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0 प्रकरण क0 119/2017—18 निगरानी

KB 14/6/18

श्रीमान जी,

निगरानी निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :———

मामले का सक्षिप्त विवरण :——

1— यह कि मौजा फूफ कला परगना व जिला भिण्ड में भूमि सर्वे कमाक 131 रकवा 0.554 हैक्टर स्थित थी । जिसमें उसके सहस्वामी दुलारे व विजय सिंह पुत्र गण शीतल द्वारा रकवा 0.209 हैक्टर का दिनांक 18—7—1994 को एक विक्रय पत्र केता रघुनाथ पुत्र वेदरी को सम्पादित किया गया । रघुनाथ इस प्रकरण में आवेदक बृजेश के पिता थे । चूंकि युक्त आखंडित सर्वे कमांक का विक्रय हो जाने के उपरान्त बटवारा किया गया जिसमें सर्वे कमांक 131

XXIX(a)-BR(H)-11

394

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3676/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	